(1)

<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
<u>कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांक :– एफ 3 (अ.स.)स्था./एसीआर/निकाशि/2012/पार्ट/1152 दिनांकः– 22/11/12

1. समस्त प्राचार्य,
   राजकीय महाविद्यालय एवम् राजकीय विधि महाविद्यालय,
   राजस्थान।

2. प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स/राजस्थान संगीत संस्थान,
   जयपुर।

विषय :– अचल सम्पत्ति विवरण पत्र प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में।
संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3 (अ.स.)स्था./एसीआर/निकाशि/11/पार्ट/524 दिनांक 21.02.12 एवम् पत्रांक एफ 3 (अ.स.)स्था./एसीआर/निकाशि/12/879 दिनांक 02.07.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 13 (76)का/के–1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.01.12 व 21.06.12 (प्रति संलग्न) के द्वारा राज्य सेवाअधिकारियों के वर्ष 2010 के लिए (01.01.11 की स्थिति) वर्ष 2011 के लिए (01.01.12 की स्थिति में) अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भरवाकर आप द्वारा इस विभाग को प्रेषित किये गये थे। इस सम्बन्ध में आप यह प्रमाण पत्र भेजें कि आपके महाविद्यालय से किसी भी अधिकारी का अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भिजवाया जाना शेष नही है। यदि किसी अधिकारी का अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भिजवाया जाना शेष है तो उसका स्पष्ट कारण अंकित कर भिजवायें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना आपके संभाग के सम्बन्धित सहायक निदेशक को दिनांक 26.11.12 तक भिजवायें। सूचना सही समय पर नही भेजने को उच्च अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से लिया जा रहा है इसलिए समय की पाबन्दी का विशेष ध्यान रखें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुनील कुमार शर्मा)
अति. निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 26.11.12 से पूर्व आपके संभाग के समस्त प्राचार्यों से सम्पर्क कर, उनसे प्राप्त सूचना संलग्न EXCEL SHEET 1 & 2 में इकजाई कर दिनांक 30.11.12 सायं 3 बजे तक E-mail ID : jdpers.cce@rajasthan.gov.in पर भेजकर दूरभाष 0141–2702247 पर सूचित करें। **कृपया इसे अति आवश्यक समझें।**
5. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाइट को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आज ही अविलम्ब अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर।

EXCEL SHEET - 1

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	दि0 1.1.11 को कार्यरत अधिकारी का नाम, विषय, जन्मतिथि जिसका अचल सम्पत्ति विवरण पत्र नही भिजवाया गया है	नही भेजने का कारण (*)
1		1........................	
		2........................	
		3........................	
		4........................	
2		1........................	
		2........................	
		3........................	
		4........................	
3		1........................	
		2........................	
		3........................	
		4........................	

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम जिनके दि0 1.1.11 को कार्यरत समस्त अधिकारियों का अचल सम्पत्ति विवरण भिजवा दिया गया है
1	
2	
3	
4	

(*) नोट : यदि किसी अधिकारी के स्थानान्तरण होने के कारण प्राचार्यों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण पत्र नही भिजवाया गया है, तो नही भेजने के कारण वाले कॉलम में अधिकारी के स्थानान्तरित महाविद्यालय का नाम भी अंकित करें।

(सहायक निदेशक)
क्षेत्रीय कार्यालय....................

EXCEL SHEET -2

क.सं	महाविद्यालय का नाम	दि0 1.1.12 को कार्यरत अधिकारी का नाम, विषय, जन्मतिथि जिसका अचल सम्पत्ति विवरण पत्र नही भिजवाया गया है	नही भेजने का कारण (*)
1		1......................	
		2......................	
		3......................	
		4......................	
2		1......................	
		2......................	
		3......................	
		4......................	
3		1......................	
		2......................	
		3......................	
		4......................	

क.सं	महाविद्यालय का नाम जिनके दि0 1.1.12 को कार्यरत समस्त अधिकारियों का अचल सम्पत्ति विवरण भिजवा दिया गया है
1	
2	
3	
4	

(*) नोट : यदि किसी अधिकारी के स्थानान्तरण होने के कारण प्राचार्यों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण पत्र नही भिजवाया गया है, तो नही भेजने के कारण वाले कॉलम में अधिकारी के स्थानान्तरित महाविद्यालय का नाम भी अंकित करें।

(सहायक निदेशक)
क्षेत्रीय कार्यालय.................

(5)(4)

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 3 (अ.स.)स्था/एसीआर/निकाशि/2011/पार्ट/525 दिनांकः 21/2/12

1. समस्त, प्राचार्य
   राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विधि महाविद्यालय,
   राजस्थान।
2. समस्त, सहायक निदेशक
   क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान
   जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर
3. प्राचार्य राजस्थान स्कूल आफ आर्ट/राजस्थान संगीत संस्थान,
   जयपुर।

विषय :– अचल सम्पत्ति विवरण पत्र प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भ :– कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक प 13 (76) का/क–1/गो. प्र/
2011 दिनांक 31.01.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प 13 (76) का/क–1/गो. प्र/2011 दिनांक 31.01.2012 (प्रति संलग्न) के क्रम में लेख है कि राज्य सेवा अधिकारियों के वर्ष 2011 के लिये (01.01.2012 की स्थिति में) अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र भरवाकर कार्मिक विभाग भिजवाये जाने है। कृपया आपके अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र पूर्ण करवाकर आवश्यक रूप से दिनांक 29.02.2012 तक प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में निम्न महत्त्वपूर्ण बिन्दूओं का ध्यान रखे।

i. केवल राजपत्रित अधिकारियों के ही अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भरवाकर भेजे। पूर्व में कुछ महाविद्यालय के प्राचार्यो द्वारा संविदा व्याख्याताओं के तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भी भरवाकर प्रेषित कर दिये गये थे। कृपया इन्हे प्रेषित नहीं करे।
ii. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में अचल सम्पत्ति का विवरण 01.01.2012 की स्थिति मे दिया जाना है। अतःएव पूर्व वर्षोनुसार नही लिखे। इस वर्ष के लिये भी अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण दिया जावे।
iii. टी. आर. एफ /पीडीएफ/ एवं अन्य स्थानो पर प्रतिनुयुक्ति पर कार्यरत व्याख्याताओं के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भी भरवाकर भिजवाये तथा प्रपत्र में ऊपर दाहिनी और टिप्पणी दे (टी.आर.एफ, पीडीएफ, प्रतिनियुक्ति)

iv. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजित व्याख्याताओं के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भी 01.01.2012 की स्थिति में भरवाकर दिनांक 29.02.2012 तक प्रस्तुत करे। कार्यालय उपयोग में सुविधा हेतु इन्हे अलग सूची बनाकर भिजवाये तथा प्रपत्र में दाहिनी और **आर.वी.आर.ई.एस.** इंगित करे।

v. उपरोक्त सभी अचल सम्पत्ति विवरण पत्र 2 प्रतियो में भरवाकर भिजवाये तथा महाविद्यालय से सभी अचल सम्पत्ति विवरण पत्र एक साथ भरवाकर भिजवाये जाने का प्रयास करे।

vi. महाविद्यालय में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की सूची (प्राचार्य/उपाचार्य सहित) मय सी.डी. भी बनाकर भिजवाये तथा पी. डी. एफ./टी. आर. एफ पर होने पर इस सूची में सम्बन्धित व्याख्याताओं के नाम के आगे पी. डी. एफ./टी. आर. एफ अंकित करे।

vii. वर्ष 2010 (01.01.2011 की स्थिति में) जिन व्याख्याताओं के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र नही भेजे गये थे उनके प्रपत्र भी पूर्ण करवाकर भिजवाया जाना सुनिशचित करें।

viii. उपरोक्त सभी अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भिजवाये जाने से पूर्व सुनिश्चित करे कि उक्त अचल सम्पत्ति विवरण पत्रो में सभी कालमो की पूर्ती कर दी गई है। यथा महाविद्यालय का नाम, धारित पद (विषय सहित), जन्म तिथि, हस्ताक्षर इत्यादि।

निम्न सूचना भी अवश्य प्रेषित करे।

प्रपत्र (अ)

1.	महाविद्यालय में कार्यरत कुल राजपत्रित अधिकारियों की संख्या (प्राचार्य, उपाचार्य सहित)।	
2.	महाविद्यालय से भिजवाये गये कुल राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण पत्रो की संख्या।	
3.	महाविद्यालय से राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नहीं भिजवाये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्रों की संख्या।	

प्रपत्र (ब)

क्रम संख्या	नाम राजपत्रित अधिकारी/जिनकी अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भिजवा दिया गया है।	विषय	जन्म तिथि
1			
2			

प्रपत्र (स)

क्रम संख्या	नाम राजपत्रित अधिकारी / जिनकी अचल सम्पत्ति विवरण नही भिजवाया गया है।	विषय	जन्म तिथि	नही भेजने का कारण
1.				
2.				

उपरोक्त प्रपत्र (अ), (ब), व (स) की सूचनाऐ राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजित व्याख्याताओं के लिये भी अलग से संलग्न कर भेजें (कार्यालय उपयोग मे सुविधा हेतु)

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो अधिकारी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करते है तो उन्हें कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 एवं 17.05.2011 के अनुसार उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने एवं पदोन्नति, एम्पेनलमेंट पर विचार नहीं किये जाने साथ ही ऐसी अचल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य उस अवधि में प्रचलित डी.एल.सी दर के आधार पर संगणित किये जाने तथा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हे आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस नियम का कठोरता से पालन किया जाये कृपया इसे स्वंय की जिम्मेदारी समझे तथा अचल सम्पत्ति विवरण पत्र पूर्ण करवाकर आवश्यक रूप से दिनांक 29.02.2012 तक प्रस्तुत करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सुबीर कुमार)

निदेशक

F:\desktop\Duli

(7)

प्रतिलिपिः– क्रमांक एफ 3 (अ.स.)स्था/एसीआर/निकाशि/2011/पार्ट/524 दिनांक – 21/2/12

i. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग राजस्थान जयपुर 1
ii. निजि सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
iii. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प 10 (2) शिक्षा–3/2012 दिनांक 13.02.2012 के संदर्भ में।
iv. विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
v. समस्त संयुक्त निदेशक/उपविधि परामर्शी/मुख्य लेखाधिकारी।
vi. श्री धीरेन्द्र देवश्री प्रभारी वेबसाईट को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक कार्मिक

F:\desktop\Duli

(8)

राजस्थान सरकार

निदेशालय,कालेज शिक्षा ,राजस्थान ,जयपुर

कमांक एफ.3(अ.स.) स्था/एसीआर/निकाशि/12/879 दिनांक 27/12

1. समस्त प्राचार्य,
   राजकीय महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय
   राजस्थान
2. प्राचार्य,
   राजस्थान स्कूल आफ आर्टस/संगीत संस्थान, जयपुर।
3. समस्त सहायक निदेशक,
   क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 एवं 2011 की अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः– कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक प.13(76)का/क–1/गोप्र/2011 दिनांक 21.6.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.4.11 व 17.5.11 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2010 के लिए (दिनांक 1.1.11 की स्थिति में) एवं उसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा इस बाबत आपको समय समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का/क–1/गोप्र/ 2011 दिनांक 21.6.12 (प्रति संलग्न) के अनुसार पालना कर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2010 (1.1.2011 की स्थिति) की सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में इस विभाग को भिजवायें। साथ ही आपके अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2011 के लिए (1.1.2012 की स्थिति में) अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात ही माह जुलाई, 2012 में आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे। इसके लिए आप अपनी कार्यालय प्रति से भली भांति सुनिश्चित कर लेवें कि अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सुबीर कुमार)
निदेशक

कमांक एफ.3(अ.स.) स्था/एसीआर/निकाशि/ निकाशि/12/880-883 दिनांक 27/12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उप विधि परामर्शी/मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय
5. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाईट को भेजकर लेख है विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)